न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **34/21 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2021/100

अनवान्

1. श्री पुष्करलाल पिता भमरिया उर्फ भंवरलाल जाट निवासी बडगांव तह. मावली।
2. सीमा पुत्री भमरिया उर्फ भंवरलाल जाट निवासी बडगांव तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भमरिया उर्फ भंवरलाल पिता हिरा जाट निवासी बडगांव तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी पटवार हल्का बडगांव, तह.मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 13.09.2022

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव, पटवार क्षैत्र बडगांव, तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1106, 1111, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1170, 1171, 1172, 1173, 679, 802 का कुल किता 13 कुल रकबा 8.1341 हैक्टेयर उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्सा हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम पर दर्ज है जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1105, 1107, 1108, 1112, 1113 कुल किता 5 रकबा 2.0073 हैक्टेयर उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम पर दर्ज है जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।
2. यह कि उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:34 IST
Reason: SelfAttested

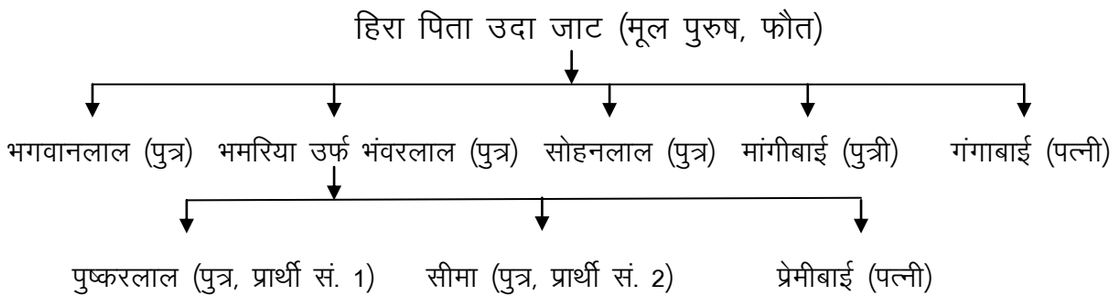

उक्त सजरे अनुसार हिरा पिता उदा जाट हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र भगवानलाल, भमरिया उर्फ भंवरलाल (प्रार्थी सं. 1), सीमा (प्रार्थी सं. 2) तथा प्रेमीबाई (पत्नी) है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व की राजस्व जमाबन्दीयों में हमो मौरूस हिरा पिता उदा जाट (जो हम प्रार्थीण के दादा है) के नाम पर दर्ज थी तथा हमारे मौरूस के निधनोपरान्त उक्त भूमियां विरासत से विपक्षी संख्या 1 व अन्य वारिसान के नाम पर अंकित हुई हैं जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चूके हैं और उक्त भूमियों में अपने पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमियों में अपने हिस्सा भूमि पर हम प्रार्थीगण अपनी माता के साथि काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि हम प्रार्थीगण का अपने पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि पर अपने हक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है अर्थात हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा में 1/3–1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज हो हमारी माता की मदद से काश्त करते आ रहे हैं और हमारे भरण पोषण का मुख्य स्त्रोत भी यही कृषि भूमि है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अणिकार नहीं है। लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित है और वर्तमान में जमीनों के भावों में काफी तेजी होने से विपक्षी संख्या 1 मन में लोभ व लालच की भावना पैदा हो गई है जो लोभ लालच से वशीभूत होकर हमें हमारे हक हिस्से भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। जबकि विपक्षी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि जो हमारी पैतृक कृशि भूमि है उसमें अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी हक की घोषणा करा अपने नाम पर रेकर्ड में अंकित करवाने के अधिकरी है। इसलिये हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आर्ष में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:34 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है। क्योंकि प्रार्थना पत्र की कलम सख्या दो में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि हमारी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है। लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा एवं हमको हमारे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित कुलियां भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है। जबकि विपक्षी संख्या1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अाकिार नहीं है। इसलिये हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों–पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है।
6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 11.10.2021 को उत्पन्न हूआ जब विपक्षी संख्या 1 ने हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं भूमि को हस्तांन्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नहीं मानें। तब उत्पन्न हूआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
7. अतः प्रार्थना है कि कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजीयात में अपने नाम अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलनजी नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने नौकर–चाकर, एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु विपक्षी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करें तो विपक्षी संख्या 4 ताफैसला मूल वाद पंजीयन नहीं करें, विपक्षी संख्या 2,3 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:34 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 2 से 4 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।
9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार होकर HUF कर्ता खानदान है। अतः HUF कर्ता खानदान होन से परिवार की जायज जरूरतों के लिए भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्व टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पति बताकर घोषणा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार से सम्बन्धित मूल वाद में तय होगें। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की जायज जरूरतों के लिए उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार की अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:22:34 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:34 IST
Reason: SelfAttested